दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 03 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 65

ठंड की चपेट में आया पूरा उत्तर भारत

कोयंबटूर में भारी बारिश के चलते तीन मकान ढहे, 10 महिलाओं समेत 15 की मौत

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के कोयंबटूर में भारी बारिश के चलते तीन मकान ढह गए है जिसमें अब तक 10 महिलाओं सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मलब में कुछ और लोग भी दबे हो सकते है जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं, अधिकारियों ने बताया कि मौसम की स्थिति को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने अगले दो दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही, छह जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए कहा- थिरुवल्लुर, वेल्लोर, थिरुवन्नामलाई, थुटीकुडी, रामनाथपुरम और तिरूनेलवेली जिलों अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। आईएमडी के चेन्नई क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, थुथुकुडी, रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली जिलों में (20 सेमी से ऊपर) अत्यधिक भारी वर्षा होगी।

तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, चेंगलपेट, तिरुवल्लूर, रामनाथपुरम, थुथुकुडी, रामनाथपुरम और कुड्डालोर जिलों में भी स्कूल सोमवा को बंद रखे जाएंगे। उधर पुडुचेरी में संकरबरनी नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को रविवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है क्योंकि यहां से 50 किलोमीटर दूर विदुर बांध से पानी छोड़ा जाना है।

» हिमाचल और लद्दाख में तापमान शून्य के नीचे

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिनों दिन जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट है। जंहा कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। वहीं बर्फबारी की वजह से ठंड ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाएं चलीं और पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस गिर गया।

रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाएं चलीं और पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस गिर गया।

लद्दाख के लेह में पारा माइनस 13.2 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन की सबसे ठंड रात थी। इसी तरह श्रीनगर में पारा माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उत्तर कश्मीर का गुलमर्ग माइनस 8 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे घाटी में सबसे ठंड रहा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू क्षेत्र में आने वाले कटरा जिले का पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पांच दिन हुई बर्फबारी के बाद रविवार को घाटी में लोगों को धूप के दर्शन हुए। 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी की वजह से 27 नवंबर से बंद है। इस राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के

प्रयास चल रहे हैं। जबकि, बर्फ की वजह से मुगल रोड पिछले महीने 6 नवंबर से बंद है।

पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। माइनस 12.3 डिग्री सेल्सियस के साथ लाहौल स्फीति इस पहाड़ी राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा। किन्नौर में पारा माइनस 3.4 जबकि मनाली में पारा माइनस 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यसभा में प्याज की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाकपा के वरिष्ठ नेता बिनय विस्वम ने प्याज और दाल की कीमतों में हुई भारी वृद्धि पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने सदन में नियम 267 के तहत खाद्य पदार्थों की कीमत पर चर्चा करने को लेकर नोटिस दिया है। सदन के सभापति एम. वेंकैया नायडू को संबोधित अपने पत्र में विस्वम ने कहा है कि यह पूरे देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि प्याज और दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विस्वम ने कहा, भारी कीमतों के कारण उन्हें खरीद पाने में असमर्थ आम जनता की हर दिन की थाली में वास्तविक आर्थिक मंदी को देखा जा सकता है।

कांग्रेस ने मोबाइल डेटा व कॉल महंगी होने पर भाजपा सरकार को घेरा

नईदिल्ली (आरएनएस)। सेलफोन कंपनियों द्वारा मोबाइल डेटा और कॉल शुल्क में वृद्धि के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इसमें सरकार की सहमति है और सेलफोन कंपनियां आम लोगों से उनके पैसे लूट रही हैं। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि वर्तमान शासन ने जान बूझकर बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 4-जी सेवाओं में अपग्रेड करने से वंचित किया है। पार्टी ने दावा किया कि मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 36,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा, जोकि 120 करोड़ भारतीय मोबाइल यूजर की जेब से निकलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सरकार के प्रति 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारियां हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग शुल्क शामिल हैं।

निकाह हलाला को चुनौती की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति बोबडे ने उनका अनुरोध ठुकराते हुए कहा कि वह मामले की सुनवाई अदालत में सर्दियों की छुट्टियों के बाद करेंगे। उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर करके मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथाओं को असंवैधानिक करार देने की मांग की है। आपको बता दें कि निकाह हलाला के तहत एक व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता ... जब तक कि वह महिला किसी अन्य पुरूष से शादी कर उससे शारीरिक संबंध नहीं बना लेती और फिर उससे तलाक लेकर अलग रहने की अवधि (इद्दत) पूरा नहीं कर लेती।

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव से पहले चुनाव आयोग के लिए कुछ निर्देश जारी करने का अनुरोध कर रही डीएमके की नई याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई। न्यायालय पांच दिसंबर यानि बृहस्पतिवार को इस याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हुआ है। द्रमुक की ओर से दायर इस नयी याचिका में तमिलनाडु में पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन एवं कुछ क्षेत्रों को सुरक्षित रखने जैसी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने द्रमुक का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि चुनाव आयोग ने सोमवार की सुबह घोषणा की कि तमिलनाडु में ग्रामीण निकाय चुनाव दो चरणों में 27 और 30 दिसंबर को होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन पर्चे भरने की प्रक्रिया छह दिसंबर से शुरू हो जाएगी।

एससी-एसटी आरक्षण मामले पर केंद्र की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि एससीध्एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने वाले 2018 के उसके आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए।

पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एससीध्एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर दो सप्ताह बाद विचार किया जाएगा। समता आंदोलन समिति और पूर्व आईएएस अधिकारी ओ पी शुक्ला ने नई याचिका दायर की है। एक जनहित याचिका में एससीध्एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें एससीध्एसटी की नॉन क्रीमी लेयर से अलग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की रिव्यू पिटिशन

» अयोध्या फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संस्था की ओर से आज रिव्यू पिटिशन दाखिल कर दी गई है। जमीयत-उलेमा-ए हिंद की ओर से यह रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है। पहले ऐसी खबर थी कि बाबरी विवाद की बरसी पर 6 दिसंबर को जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले में फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। जमीयत की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका में फैसले में मौजूद अंतर्विरोधों को आधार बनाया गया है।

हमारे सहयोगी चौनल टाइम्स

नाउ के पास रिव्यू पिटिशन की कॉपी मौजूद है। कॉपी के अनुसार कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए मस्जिद ढहाने का जिक्र याचिका में किया गया है। याचिका में कहा गया कि अदालत ने अपने फैसले में मस्जिद ढहाए जाने को दोषपूर्ण कृत्य करार दिया था। इसके बावजूद फैसला पूरी तरह से हिंदू पक्षकारों की ओर गया है।

जमीयत के यूपी जनरल सेक्रेटरी ने दाखिल की याचिका

जमीयत के यूपी जनरल सेक्रटरी मौलाना अशद रशीदी की ओर से दायर की जाएगी, जो कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के 10 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। 3 सप्ताह पहले ही सर्वोच्च अदालत से अयोध्या विवाद पर फैसला आया है। फैसले के बाद कुछ मुस्लिम संस्थाओं की ओर से अपील नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन आज रिव्यू पिटिशन दाखिल किया गया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी दाखिल करेगा रिव्यू पिटिशन

इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का ऐलान किया है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में हम बाबरी मस्जिद केस में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने जा रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अर्जी न दाखिल करने के फैसले का कानूनी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

नया मोटर कानून के बावजूद सड़क हादसों में मौतों की संख्या बढ़ी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने सोमवार को माना कि मोटर वाहन कानून को सख्ती के साथ लागू किये जाने के बावजूद देश में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आई।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि पिछले साल जनवरी से सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर तक सड़क हादसों में 2.2 प्रतिशत की कमी आयी है लेकिन इन हादसों में मरने वालों की संख्या 0.2 प्रतिशत बढ़ गयी है। पूरक प्रश्नों के जवाब में गडकरी ने उच्च सदन को बताया कि सड़क हादसों के आज आंकड़े देखने के बाद मुझे दुख से कहना पड़ता है कि अभी भी सड़क हादसों और मरने वालों की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। गडकरी ने इसके लिये सड़क इंजीनियरिंग संबंधी खामियों को प्रमुख वजह बताते हुये कहा कि सड़क इंजीनियरिंग में सुधार और सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन्हें दुरुस्त करने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सात सात हजार करोड़ रुपये की दो परियोजनायें विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक (एडीबी) को सौंपी है। उन्होंने कहा कि संशोधित कानून में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि में भारी इजाफे का उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना नहीं बल्कि 25 साल पहले निर्धारित जुर्माना राशि को समयानुकूल बनाते हुये लोगों को कानून के पालन के प्रति जागरुक बनाना है। उल्लेखनीय है कि संशोधित मोटर वाहन कानून इस साल एक सितंबर से लागू हुआ था।

पाक की नापाक हरकत का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कई पोस्ट तबाह

» 2 पाक सैनिक ढेर

जम्मू (आरएनएस)। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तानी सेना ने रविवार को पुंछ जिले के कस्बा और शाहपुर सेक्टर में संघर्षविवाम का उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सेना ने यह नापाक हरकत शाम करीब चार बजे की। इस नापाक हरकत में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था। इस तीन दिन से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार जारी पाक गोलाबारी का भारतीय सेना ने रविवार देर रात करारा जवाब दिया है। शाहपुर सेक्टर के पार (पाकिस्तान में) भारतीय सेना ने पाक की 6 चौकियों को तबाह कर दिया। दो पाक सैनिक भी मारे गए और दर्जनों पाक सैनिक घायल हुए हैं। देर रात तक गोलाबारी जारी रही। एलओसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

आपराधिक मामलों में सबूत के तौर पर मेमोरी कार्ड होगा मान्य

नई दिल्ली (आरएनएस)। आपराधिक मामले में सबूत के तौर पर अब मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड को भी पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मेमोरी कार्ड सबूत के तौर पर मान्य होगा। केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपी दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें दिलीप ने मेमोरी कार्ड की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा था कि मेमोरी कार्ड को दस्तावेज के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। वहीं अब केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि यदि आपराधिक मामले में अभियोग मेमोरी कार्डध्पेन ड्राइव की सामग्रियों पर निर्भर है तो आरोपी को उसकी कॉपी दी जानी चाहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत सुनवाई के दौरान प्रभावी बचाव के लिए केवल आरोपी, उसके वकील या विशेषज्ञ को ही सामग्री के तौर पर मेमोरी कार्ड मुहैया कराया जा सकता है। बता दें कि साल 2017 में कोच्चि में चलती कार में केरल की एक अभिनेत्री का यौन उत्पीड़न किया गया था। इस घटना का वीडियो एक फोन के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले के आरोपी दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था।

राज्यसभा में उठा निजी अस्पतालों में इलाज के महंगे खर्च का मुद्दा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में सोमवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने निजी अस्पतालों में इलाज के महंगे खर्च, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी और असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा अभयारण्य में हुए नुकसान सहित लोकमहत्व से जुडे अलग अलग मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की।

शून्यकाल में भाजपा की संपतिया उइके ने निजी अस्पतालों में इलाज के महंगे खर्च का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन अस्पतालों में इलाज कराने गए मरीजों को बिलों के भुगतान के लिए कर्ज लेने और अपनी संपत्ति बेचने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें निजी अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन देती हैं और अन्य सरकारी सुविधाएं भी उनको मिलती हैं। लेकिन इलाज के खर्च को लेकर निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। संपतिया ने सरकार से निजी अस्पतालों में इलाज के महंगे खर्च पर लगाम कसने की मांग की।

संसद में सुनाई दी हैदराबाद में गैंगरेप की गूंज, घुसपैठिया बयान पर भी मचा घमासान

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को संसद के दोनों सदनों में हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गूंज आज संसद में भी सुनाई पड़ी। इस घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें कानून को कठोर बनाने की मांग की गई, जिसके लिए केंद्र सरकार भी काननों में संशोधन करने के लिए तैयार नजर आई।

किसी उम्र का हो बलात्कारी को मिले कड़ी सजा: नायडू- उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि अगर जघन्य अपराध जारी रहते हैं तो सजा देने के लिए दुष्कर्मी की आयु के मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस समय पूरे देश में वर्ष 2012 में हुए निर्भया केस की तरह हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या को लेकर हल्ला मचा हुआ है। राज्यसभा के सभापति नायडू ने भी इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में कई सदस्यों की ओर से इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद कहा कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दे और पहलू सभी सदस्यों के सामने हैं जिनके जवाब और समाधान राजनीति से ऊपर उठकर और मिलकर देना है। ऐसी घटनाएं किसी एक राज्य से जुड़ी नहीं हैं बल्कि यह पूरे समाज का रोग है। व्यवस्था में खामियां हैं और पुलिस इंतजामों में कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होने चाहिए। ऐसे मुद्दों पर फिर गंभीरता से विचार करके समाधान निकालने होंगे।

बलात्कारियों को जनता के बीच मिले मौत की सजा: जया बच्चन- राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान हैदराबाद में 26 वर्षीय वेटरनिटी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कर रेप और बलात्कार की जो घटना सामने आई है उस पर जहां एक तरफ देशव्यापी गुस्सा है तो वहीं दूसरी तरफराज्यसभा में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सोमवार को कहा कि ऐसे बलात्कारियों को जनता के बीच लाकर मार देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद ने कहा- ऐसे लोगों को जनता के बीच लाकर उसे पीट-पीटकर मार देना चाहिए। 26वर्षीय महिला डॉक्टर का जल हुआ शव गुरुवार की सुबह हैदराबाद के पास मिला था। इसके साथ ही, जया बच्चन ने इस बात को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया है कि वे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय है जब सरकार को यह बताना चाहिए कि कैसे वे रेप केस को सुलझाते हैं। ऐसी ही घटना वेटरनिटी डॉक्टर के रेप से पहले हैदराबाद में एक दिन पहले हुई थी।